फर्म अहकाम

(नियम 38)

उप खण्ड अधिकारी
ओसियां जिला जोधपुर

मुकाम ओसियां

प्रदाता किशनसिंह

प्रदाम अश्विनी सिंह वगैरा

81 / सन् 2003

मुकदमा 88, 92A, 188 R.T. Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिहासिक अब	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/9/2003	वकील वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92A, 188 R.T. Act के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रूबरू की जाकर दिनांक 6-10-03 को पेश हों।	
2/10/03	वकील वादी हुआ। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त नहीं हुए इन्तजार होकर दिनांक 11.11.03 को पेश हों।	
11/11/03	वकील वादी हुआ। प्रतिवादीगण के नोटिस/सम्मन पुनः तामील बढ़ाई जाकर भेजा जावे। दिनांक 9.12.03 को पेश हों।	

उप खण्ड अधिकारी
ओसियां जिला जोधपुर

उप खण्ड अधिकारी
ओसियां जिला जोधपुर

उप खण्ड अधिकारी
ओसियां जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/1/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नही। न्यायालय समय में बार-बार अवाजे लगाई गई लेकीन वादी व वादी की ओर से कोई हाजीर नही। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलेक्टर, मोरि[illegible]	

Scanned by CamScanner